न्यायालयः—राजकुमार यादव, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, खरगोन, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)
{ निर्णय दिनांकः— 06/08/2026 }

S.T.No-300516/2016
Filing No-6/2016
C. N. R. No-MP1005-003287-2016
Filing date-03-06-2016
Registration date 06-07-2016

अभियोजन—	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र—भगवानपुरा, जिला—खरगोन (म.प्र.)
अभियोजन द्वारा—	अपर लोक अभियोजक श्री राजकुमार अत्रे
आरोपी द्वारा—	संतोष कुमार दुबे पिता स्व. सीताराम दुबे उम्र—लगभग 55 वर्ष, निवासी—ग्राम जतारा, जिला—टीकमगढ़, हा.मु.—विश्वसखा कॉलोनी, खरगोन, जिला—खरगोन (म0प्र0)
आरोपी द्वारा—	श्री के.पी. त्रिपाठी अधिवक्ता.

मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) संशोधन, 2022 के नियम—238—क (2) के पालन में प्रकरण को सारणीबद्ध किया गया।

अपराध की तारीख	04.10.2014 के पूर्व सुसंगत समय से
प्र.सू.रि. की तारीख	04.10.2014
अभियोग—पत्र प्रस्तुति की तारीख	03.06.2016
आरोपों की विरचना की तारीख	10.04.2017
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	18.05.2017
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	04.08.2026
निर्णय की तारीख	06.08.2026

दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	06.08.2026

— आरोपी का विवरण —

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.स. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	संतोष कुमार दुबे	20.11.2014	अग्रिम जमानत दिनांक 10.11.14	धारा—420 विकल्प में 420 सहपठित धारा—120(ख), 409 विकल्प में 409 सहपठित धारा 120(ख), 468 विकल्प में 468 सहपठित धारा 120(ख), 471 विकल्प में 471 सहपठित धारा 120(ख), एवं धारा 120(ख) भा.द.सं.	**निर्णय चरण—58 अनुसार दोषसिद्ध**	**निर्णय चरण—62 अनुसार**	दिनांक 28.07.26 से 31.07.26 तक कुल 03 दिवस

(परिशिष्ट)

<u>अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची:—</u>

<u>क. अभियोजन साक्षी:—</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा—01	सदाशिव वर्मा	अभियोजन साक्षी
अ.सा—02	मकराम	अभियोजन साक्षी
अ.सा—03	सी.ई.ओ. राजेन्द्र कुमार दीक्षित	अभियोजन साक्षी
अ.सा—04	मुन्ना	अभियोजन साक्षी
अ.सा—05	सहायक सचिव हेमंत	अभियोजन साक्षी

अ.सा—06	मंशाराम	पुलिस साक्षी
अ.सा—07	सहायक मानचित्रकार आशिक शेख	पुलिस साक्षी
अ.सा—08	कार्यपालन यंत्री एस.एस. चौहान	अभियोजन साक्षी
अ.सा—09	सहायक यंत्री आशीष कुमार वर्मा	अभियोजन साक्षी
अ.सा—10	उप निरीक्षक अन्ना वागले	पुलिस साक्षी
अ.सा—11	उप निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह	पुलिस साक्षी
अ.सा—12	उप निरीक्षक भारतसिंह बघेल	पुलिस साक्षी
अ.सा—13	ऑडिटर संजय यादव	अभियोजन साक्षी
अ.सा—14	सहायक ग्रेड—2 नवनीत चौहान	अभियोजन साक्षी
अ.सा—15	ओमप्रकाश रामणेकर	अभियोजन साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
—	निरंक	—

ग. न्यायालयीन साक्षीः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
—	निरंक	—

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची—

क. अभियोजनः—

सं.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी. 1/अ.सा. 2	जप्ती पंचनामा
2.	प्रदर्श पी. 2/अ.सा. 3	एफ.आई.आर. पंजीबद्ध किये जाने हेतु

		थाना प्रभारी को प्रस्तुत आवेदन
3.	प्रदर्श पी. 3/अ.सा. 3	तत्कालीन कलेक्टर द्वारा सी.ई.ओ. जनपद को लिखा गया पत्र
4.	प्रदर्श पी. 4/अ.सा. 3	कार्यपालन यंत्री द्वारा अपर कलेक्टर खरगोन को जांच बाबद लिखा गया पत्र
5.	प्रदर्श पी. 5/अ.सा. 3	जांच प्रतिवेदन
6.	प्रदर्श पी. 6/अ.सा. 3	जांच प्रतिवेदन
7.	प्रदर्श पी. 7/अ.सा. 3	जप्ती पंचनामा
8.	प्रदर्श पी. 8/अ.सा. 3	कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खरगोन को प्रेषित पत्र
9.	प्रदर्श पी. 9/अ.सा. 3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कार्यपालन यंत्री को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र
10.	प्रदर्श पी. 10/अ.सा. 3	प्रथम सूचना रिपोर्ट
11.	प्रदर्श पी. 11/अ.सा. 4	जप्ती पंचनामा
12.	प्रदर्श पी. 12 से 14/ अ.सा. 6	जप्ती पंचनामा
13	प्रदर्श पी. 16/अ.सा. 8	साक्षी एस.एस. चौहान के पुलिस कथन
14	प्रदर्श पी. 16/अ.सा. 9	जांच प्रतिवेदन
15	प्रदर्श पी. 17 व 18/अ.सा. 10	गिरफ्तारी पंचनामा
16	प्रदर्श पी. 19, 20 व 21/अ.सा.11	गिरफ्तारी पंचनामा
17	प्रदर्श पी. 22/अ.सा. 11	जानकारी की प्रमाणित प्रतिलिपि
18	प्रदर्श पी. 23/अ.सा. 11	विवादित दस्तावेजों परीक्षण हेतु राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख भोपाल को लिखा गया पत्र
19	प्रदर्श पी. 24/अ.सा. 11	राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख भोपाल द्वारा प्रेषित प्राप्ति अभिस्वीकृति

20	प्रदर्श पी. 25 / अ.सा. 13	नियुक्ति आदेश
21	प्रदर्श पी. 26 / अ.सा. 13	नियुक्ति आदेश
22	प्रदर्श पी. 27 / अ.सा. 14	नियुक्ति आदेश
23	प्रदर्श पी. 28 / अ.सा. 14	निर्वाचन का प्रमाण–पत्र
24	प्रदर्श पी. 29 / अ.सा. 11	आरोपी मनोज की नमूना लिखावट
25	प्रदर्श पी. 30 / अ.सा. 11	आरोपी भरत की नमूना लिखावट
26	प्रदर्श पी. 31 / अ.सा. 11	आरोपी संतोष कुमार की नमूना लिखावट
27	प्रदर्श पी. 32 / अ.सा. 11	आरोपी रेशमाबाई की नमूना लिखावट
28	प्रदर्श पी. 33 / अ.सा. 11	आरोपी हुकूम की नमूना लिखावट
29	प्रदर्श पी. 34 / अ.सा. 11	राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख भोपाल की जॉच रिपोर्ट
30	प्रदर्श पी. 35 / अ.सा. 11	अभिमत
31	प्रदर्श पी. 36 / अ.सा. 15	साक्षी ओमप्रकाश रामणेकर के पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षाः–

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श डी–1 / अ.सा.3	साक्षी राजेन्द्र के पुलिस कथन
2	प्रदर्श डी–2 / अ.सा.3	मस्टर रोल
3	प्रदर्श डी–3 / अ.सा.3	पुलिस थाना भगवानपुरा द्वारा सी.ई.ओ. जनपद पंचायत गोगावां का लिखा गया पत्र
4	प्रदर्श डी–4 / अ.सा.3	कार्यालय जनपद पंचायत गोगावां द्वारा न्यायालय को लिखा गया पत्र
5	प्रदर्श डी–5 / अ.सा.11	साक्षी सदाशिव वर्मा के पुलिस कथन

ग. न्यायालयीन प्रदर्शः–

सं.क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
—	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएं:—

सं.क.	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
1	आर्टिकल ए—1	माप पुस्तिका 013270
2	आर्टिकल ए—2	जनपद गोगावां का पत्र
3	आर्टिकल ए—3	स्टीमेट कुल 09 पृष्ठ
4	आर्टिकल ए—4	ठहराव प्रस्ताव
5	आर्टिकल ए—5	एस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति
6	आर्टिकल ए—6	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश
7	आर्टिकल ए—7	ले—आउट रिपोर्ट
8	आर्टिकल ए—8	तकनीकी स्वीकृति कुल 10 पेज
9	आर्टिकल ए—9	ठहराव प्रस्ताव
10	आर्टिकल ए—10	ले—आउट रिपोर्ट
11	आर्टिकल ए—11	प्रशासकीय स्वीकृति
12	आर्टिकल ए—12 से 21/अ.सा.11	जप्त दस्तावेज
13	आर्टिकल ए—22	मस्टर रोल क्रमांक 4531
14	आर्टिकल ए—23	मस्टर रोल क्रमांक 4738
15	आर्टिकल ए—24	मस्टर रोल क्रमांक 41
16	आर्टिकल ए—25	मस्टर रोल क्रमांक 45
17	आर्टिकल ए—26	मस्टर रोल क्रमांक 248
18	आर्टिकल ए—27	मस्टर रोल क्रमांक 352
19	आर्टिकल ए—28	मस्टर रोल क्रमांक 351
20	आर्टिकल ए—29	मस्टर रोल क्रमांक 1011

21	आर्टिकल ए—30	मस्टर रोल कमांक 2414
22	आर्टिकल ए—31	मस्टर रोल कमांक 3274
23	आर्टिकल ए—32	मस्टर रोल कमांक 4145
24	आर्टिकल ए—33	मस्टर रोल कमांक 4530
25	आर्टिकल ए—34	मस्टर रोल कमांक 40
26	आर्टिकल ए—35	मस्टर रोल कमांक 44
27	आर्टिकल ए—36	मस्टर रोल कमांक 247
28	आर्टिकल ए—37	मस्टर रोल कमांक 351
29	आर्टिकल ए—38	मस्टर रोल कमांक 450
30	आर्टिकल ए—39	बिल कमांक 70
31	आर्टिकल ए—40	बिल कमांक 71
32	आर्टिकल ए—41	बिल कमांक 401
33	आर्टिकल ए—42	बिल कमांक 402
34	आर्टिकल ए—43	बिल कमांक 406
35	आर्टिकल ए—44	बिल कमांक 66
36	आर्टिकल ए—45	बिल कमांक 67
37	आर्टिकल ए—46	बिल कमांक 68
38	आर्टिकल ए—47	बिल कमांक 69
39	आर्टिकल ए—48	बिल कमांक 405
40	आर्टिकल ए—49	बिल कमांक 403
41	आर्टिकल ए—50	बिल कमांक 404
42	आर्टिकल ए—51	बिल कमांक 3227
43	आर्टिकल ए—52	बिल कमांक 3228
44	आर्टिकल ए—53	बिल कमांक 3224

45	आर्टिकल ए–54	बिल कमांक 3223

आरक्षी केन्द्र–भगवानुपरा, जिला–खरगोन के अपराध क्रमांक 274/2014 में प्रस्तुत अभियोग–पत्र के आधार पर अपराध का संज्ञान उपरांत प्रकरण माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को उपार्पित होकर प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक–06.07.2016 के द्वारा विधि अनुसार निराकरण हेतु अंतरण में प्राप्त।

–:: निर्णय ::–
(आज दिंनाकः–06/08/2026 को घोषित)

नोटः– प्रकरण के अन्य आरोपीगण भारतसिंह, मनोज, हुकुम एवं रेशमा के संबंध में दिनांक 23.07.2026 निर्णय पारित किया जा चुका है। यह निर्णय आरोपी संतोष कुमार दुबे के संबंध में पारित किया जा रहा है।

1. आरोपी संतोष कुमार दुबे के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420 विकल्प में 420 सहपठित धारा–120(ख), 409 विकल्प में 409 सहपठित धारा 120(ख), 468 विकल्प में 468 सहपठित धारा 120(ख), 471 विकल्प में 471 सहपठित धारा 120(ख), एवं धारा 120 (ख) भा.द.सं. के अंतर्गत यह आरोप है कि आरोपी ने वर्ष 2014 या उसके पूर्व किसी सुसंगत समय पर ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/– रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/– रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/– रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर छल करते हुए शासन से कुल 4.12 लाख रूपये की राशि का फर्जी भुगतान आहरित कर उक्त राशि परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया तथा आरोपी ने उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर अन्य आरोपीगण के साथ मिल कर शासन से छल कारित करने का आपराधिक षड़यंत्र किया और उस षड़यंत्र के अग्रसरण में ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के

खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/— रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/— रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/— रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर छल करते हुए शासन से कुल 4.12 लाख रूपये की राशि का फर्जी भुगतान आहरित कर उक्त राशि परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया तथा आरोपी ने उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर लोकसेवक (सहायक यंत्री) के पद पर रहते हुए ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/— रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/— रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/— रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर कुल राशि रूपये 4.12 लाख का आपराधिक न्यासभंग कारित किया एवं आरोपी ने उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर शासन की राशि का न्यासभंग कारित करने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी ने लोकसेवक (सहायक यंत्री) के पद पर रहते हुए ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/— रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/— रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/— रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर कुल राशि रूपये 4.12 लाख का आपराधिक न्यासभंग कारित किया, उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी ने ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य दर्शित मूल्यांकन अनुसार न कराते हुए राशि प्राप्त करने के लिए मस्टर रोल आदि दस्तावेज की कूट रचना इस आशय से की कि उक्त कूटरचित दस्तावेज छल प्रयोजन से उपयोग में लाए जाए तथा आरोपी ने उक्त सुसंगत

दिनांक, समय और स्थान पर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर छल के प्रयोजन से दस्तावेजों के कूटरचना करने का आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी ने ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य दर्शित मूल्यांकन अनुसार न कराते हुए राशि प्राप्त करने के लिए मस्टर रोल आदि दस्तावेज की कूट रचना इस आशय से की कि उक्त कूटरचित दस्तावेज छल प्रयोजन से उपयोग में लाए जाए, आरोपी ने उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर उपरोक्त दस्तावेजों को जिसके बारे में आरोपी जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वे कूटरचित है, को कपटपूर्वक या बेईमानी से असल दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाए, आरोपी ने उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर उक्त कूटरचित दस्तावेजों को कपटपूर्वक या बेईमानी से असल दस्तावेजों के रूप में उपयोग में लाये जाने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी ने उपरोक्त दस्तावेजों को जिसके बारे में आरोपी जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वे कूटरचित है, को कपटपूर्वक या बेईमानी से असल दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाए, उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी ने ग्राम जगन्नाथपुरा के अंतर्गत खेत सड़क योजना ग्राम पंचायत भवन से सोमरा फालिया के कार्य एवं मेन रोड़ खेत सड़क से राधाकिशन के खेत का अधिकतम मूल्यांकन क्रमशः अधिकतम रूपए डेढ़ लाख से दो लाख रूपये तक एवं 3.80 लाख रूपए तक का था, का फर्जी मूल्यांकन क्रमशः 3 से 3.50 लाख एवं 4.12 लाख रूपये दर्शाने के संबंध में आपराधिक षड़यंत्र किया और अपने आपराधिक षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी आपराधिक षड़यंत्र में शामिल रहा।

2. इस प्रकरण में आरोपी संतोष कुमार दुबे का सहायक यंत्री, मनरेगा. जनपद पंचायत गोगावां होना, आरोपी भारतसिंह मोरे का संविदा उपयंत्री जनपद पंचायत गोगावां, आरोपी मनोज चौहान का सचिव ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा जनपद पंचायत गोगावां, आरोपी हुकुम पंवार का संविदा ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत जगन्नाथपुरा, जनपद पंचायत गोगावां तथा आरोपिया रेशमा का सरपंच, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा, जनपद पंचायत गोगावां के पद पर पदस्थ होकर उनका लोकसेवक होना स्वीकृत तथ्य है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण सदाशिव वर्मा, ओमप्रकाश रामणेकर, करणसिंह चौहान, सुनील भामरे के द्वारा एक लेखी आवेदन ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आवंली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिये खेत योजना सड़कें अन्तर्गत मेन रोड़ से राधाकिशन के खेत तक एवं पंचायत भवन से सोमारिया फलिया तक स्वीकृत सड़क के संबंध में बिना कार्य के फर्जी खर्च बताकर राशि आहरण के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी खरगोन को दिया गया था। उक्त आवेदन पत्र की जांच सहायक यंत्री मनरेगा आशीष कुमार वर्मा, सहायक यंत्री जनपद पंचायत भीकनगांव तथा पश्चात् में एस.एस. चौहान कार्यपालन यंत्री खरगोन के द्वारा की गई। कार्यपालन यंत्री एस.एस. चौहान के द्वारा जांच प्रतिवेदन अपर कलेक्टर को सौंपा गया, जहां से प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोगावां राजेन्द्र कुमार दीक्षित को सौंपा गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोगावां राजेन्द्र कुमार दीक्षित द्वारा दिनांक 04.10.2014 को आरक्षी केन्द्र भगवानपुरा पर आरोपी संतोष कुमार पिता स्व. सीताराम दुबे, हुकुम पिता मांगीलाल पंवार बंजारा, भारतसिंह पिता जामसिंह मोरे, रेशमा पति कालु भील, मनोज पिता किशन चौहान के विरूद्ध धारा–406, 409, 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने हेतु पत्र क्रमांक 4399/मनरेगा/214 का सौंपा गया, उक्त पत्र एवं पत्र के संलग्न दस्तावेज के आधार पर आरक्षी केन्द्र भगवानपुरा द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा–406, 409, 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध क्रमांक 274/2014 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खरगोन के न्यायालय में दिनांक 03.06.2016 को पेश किया गया, जो दिनांक 30.06.2016 को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, मण्डलेश्वर की ओर उपार्पित किये जाने पर यह सत्र प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश प.नि. मण्डलेश्वर के आदेशानुसार इस न्यायालय को विधिवत विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त हुआ है।

4. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा आरोपी संतोष कुमार दुबे के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420 विकल्प में 420 सहपठित धारा–120(ख), 409 विकल्प में 409 सहपठित धारा 120(ख), 468 विकल्प में 468 सहपठित धारा 120(ख), 471 विकल्प में 471 सहपठित धारा 120(ख), एवं धारा 120(ख) भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप विरचित कर आरोप पत्र आरोपी को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया, विचारण

किये जाने का निवेदन किया। धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत आरोपी परीक्षण के दौरान आरोपी ने निर्दोष होना प्रकट करते हुए अपने बचाव में प्रविष्ट कराये जाने पर बचाव साक्ष्य देना प्रकट किया है, किन्तु आरोपी की ओर से अपने बचाव में बातैर बचाव साक्षी किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. <u>प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :—</u>

1.	क्या आरोपी संतोष कुमार दुबे ने वर्ष 2014 या उसके पूर्व किसी सुसंगत समय पर ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/— रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/— रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/— रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर छल करते हुए शासन से कुल 4.12 लाख रूपये की राशि का फर्जी भुगतान आहरित कर उक्त राशि परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया ? **विकल्प में** क्या उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर क्या आरोपी संतोष कुमार दुबे ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर शासन से छल कारित करने का आपराधिक षड़यंत्र किया और उस षड़यंत्र के अग्रसरण में ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/— रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/— रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/— रूपये राशि

	फर्जी रूप से आहरित कर छल करते हुए शासन से कुल 4.12 लाख रूपये की राशि का फर्जी भुगतान आहरित कर उक्त राशि परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया ?
2.	क्या उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने लोकसेवक (सहायक यंत्री) के पद पर रहते हुए ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/— रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/— रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/— रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर कुल राशि रूपये 4.12 लाख का आपराधिक न्यासभंग कारित किया ? **विकल्प** क्या उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर शासन की राशि का न्यासभंग कारित करने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी ने लोकसेवक (सहायक यंत्री) के पद पर रहते हुए ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/— रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/— रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/— रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर कुल राशि रूपये 4.12 लाख का आपराधिक न्यासभंग कारित किया ?
3.	क्या उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष

	कुमार दुबे ने ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य दर्शित मूल्यांकन अनुसार न कराते हुए राशि प्राप्त करने के लिए मस्टर रोल आदि दस्तावेज की कूट रचना इस आशय से की कि उक्त कूटरचित दस्तावेज छल प्रयोजन से उपयोग में लाए जाए ? **विकल्प** क्या उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर छल के प्रयोजन से दस्तावेजों के कूटरचना करने का आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी ने ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य दर्शित मूल्यांकन अनुसार न कराते हुए राशि प्राप्त करने के लिए मस्टर रोल आदि दस्तावेज की कूट रचना इस आशय से की कि उक्त कूटरचित दस्तावेज छल प्रयोजन से उपयोग में लाए जाए ?
4.	क्या उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने उपरोक्त दस्तावेजों को जिसके बारे में आरोपी जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वे कूटरचित है, को कपटपूर्वक या बेईमानी से असल दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाए ? **विकल्प** क्या उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर उक्त कूटरचित दस्तावेजों को कपटपूर्वक या बेईमानी से असल दस्तावेजों के रूप में उपयोग में लाये जाने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी ने उपरोक्त दस्तावेजों को जिसके बारे में आरोपी जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था

	कि वे कूटरचित है, को कपटपूर्वक या बेईमानी से असल दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाए ?
5.	क्या उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने ग्राम जगन्नाथपुरा के अंतर्गत खेत सड़क योजना ग्राम पंचायत भवन से सोमरा फालिया के कार्य एवं मेन रोड़ खेत सड़क से राधाकिशन के खेत का अधिकतम मूल्यांकन क्रमशः अधिकतम रूपए डेढ़ लाख से दो लाख रूपये तक एवं 3.80 लाख रूपए तक का था, का फर्जी मूल्यांकन क्रमशः 3 से 3.50 लाख एवं 4.12 लाख रूपये दर्शाने के संबंध में आपराधिक षड़यंत्र किया और अपने आपराधिक षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी आपराधिक षड़यंत्र में शामिल रहा ?

//सकारण निष्कर्ष//

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने पक्ष समर्थन में सदाशिव वर्मा (अ.सा.–1), मकराम (अ.सा.–2), राजेन्द्र कुमार दीक्षित (अ.सा.–3), मुन्ना (अ.सा.–4), हेमंत (अ.सा.–5), मंशाराम (अ.सा.–6), आशिक शेख (अ.सा.–7), एस.एस. चौहान (अ.सा.–8), आशीष कुमार वर्मा (अ.सा.–9), अन्ना वागले (अ.सा.–10) , दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.–11), भारतसिंह बघेल (अ.सा.–12), संजय यादव (अ.सा.–13), नवनीत चौहान (अ.सा.–14) एवं ओमप्रकाश रामणेकर (अ.सा.–15) को परीक्षित कराया गया है, जिनमें से अभियोजन द्वारा साक्षी मकराम (अ.सा.–2), मुन्ना (अ.सा.–4), हेमंत (अ.सा.–5), मंशाराम (अ.सा.–6), एस.एस. चौहान (अ.सा.–8) एवं ओमप्रकाश रामणेकर (अ.सा.–15) को पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, जबकि आरोपी की ओर से अपने बचाव में बतौर बचाव साक्षी किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र.–01 लगायत 05 पर निष्कर्ष :–</u>

7. उक्त सभी विचारणीय प्रश्न एक ही घटना संव्यहार से संबद्ध होकर परस्पर संबंधित होने से साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. धारा–409 भा.द.सं. आपराधिक न्यासभंग के संबंध में दण्ड का प्रावधान करता है। आपराधिक न्यासभंग को धारा–405 भा.द.सं. में परिभाषित किया गया है।

<u>धारा–405 भा.दं.सं. यह उपबंधित करती है :–</u>

> ''जो कोई संपत्ति पर अख्तयार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेता है या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है या न्यास निर्वाहन की शर्तों का उल्लंघन करता है या संविदा का अतिक्रमण करके उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, तो वह व्यक्ति आपराधिक न्यासभंग करता है, ऐसा कहा जाता है।''

<u>धारा–409 भा.दं.सं. यह उपबंधित करती है :–</u>

> लोक सेवक द्वारा या बैंक, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्याय–भंग–जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फेक्टर, दलाल, अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्त्यार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्याय–भंग करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।''
> धारा–409 भा.द.सं. के अपराध के लिये व्यक्ति का लोकसेवक होना आवश्यक है।
> क्या सुसंगत घटना दिनांक के समय आरोपी लोकसेवक था ?

लोक सेवक को भा.दं.सं. की धारा 21 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। <u>लोकसेवक से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जो</u> :–

(क) सरकार की सेवा या वेतन में हो, या किसी लोक–कर्तव्य के पालन के लिये सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो,

(ख) स्थानीय प्राधिकारी की, अथवा केन्द्र, प्रान्त या राज्य के अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित निगम की अथवा

कंपनी अधिनियम, 1956 सरकारी कंपनी की, सेवा या वेतन में हो।

धारा 21 भा.दं.सं. के आलोक में लोक सेवक समझा जावेगा।

9. ऑडिटर संजय यादव (अ.सा.13) ने कथन किया है कि वह अप्रैल 2007 से जिला पंचायत कार्यालय खरगोन में ऑडिटर के पद पर पदस्थ है एवं वर्तमान में जिला समन्वयक के पद पर पदस्थ है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक/11395/एम.जी.एन. ई.जी.एस./स्था/2012, खरगोन दिनांक 22.10.2021 द्वारा संयुक्त उपयंत्री के पद स्थापना के संबंध में तत्कालीन जिला पंचायत अधिकारी खरगोन श्री पी.सी.शर्मा के द्वारा प्रदर्श पी–25 का आदेश जारी किया गया था, जिसके सरल क्रमांक 36 पर आरोपी भारतसिंह मोरे का पदस्थापना स्थल जनपद पंचायत गोगावां उल्लेखित है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत अधिकारी खरगोन के प्रदर्श पी–26 के आदेश क्रमांक /11731/मनरेगा स्था./2013 खरगोन दिनांक 23.09.2013 द्वारा श्री एस.के.दुबे उपयंत्री जल संसाधन वाटर रिसोर्च सब डिवीजनल छतरपुर सहायक यंत्री जनपद स्तर के पद पर प्रतिनियुक्ति कर खरगोन पर पदभार ग्रहण करवाया गया था, जो तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला पंचायत खरगोन श्रीमती शिल्पा के द्वारा जारी किया गया था।

10. सहायक ग्रेड–2 नवनीत चौहान (अ.सा.14) ने कथन किया है कि वह वर्ष 2008 से वर्ष 2017 तक जनपद पंचायत गोगावां में सहायक ग्रेड–2 के पद पर कार्यरत था। वर्ष 2012 में हुकुमसिंह पंवार को रोजगार सहायक के पद पर ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में नियुक्ति दी गई थी, जिसका आदेश प्रदर्श पी–27 है, ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा जारी किया गया था। ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा की सरपंच का निर्वाचन का प्रमाण–पत्र प्र.पी.–28 अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जारी किया गया था।

11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र कुमार दीक्षित (अ.सा.3) ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है, वह जनपद पंचायत गोगांवा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर फरवरी 2013 से वर्तमान तक पदस्थ है, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा जनपद पंचायत गोगांवा के प्रभार क्षेत्र में है, आरोपी संतोष दुबे सहायक यंत्री मनरेगा योजना गोगांवा में पदस्थ था, आरोपी भारतसिंह मोरे संविदा उपयंत्री के पद पर ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में पदस्थ था, आरोपी मनोज

ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा का सचिव था, आरोपी हुकुम पंवार ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा का संविदा रोजगार सहायक था और आरोपिया रेशमा ग्राम पंचायत जगन्नाथुपरा में सरपंच थी, उक्त सभी आरोपीगण ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में वर्ष 2014 तक पदस्थ थे।

12. सहायक सचिव हेमन्त पाटिल (अ.सा.5) ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है, वह सहायक सचिव के पद पर गोगावां जनपद पंचायत में पदस्थ है, आरोपी संतोष दुबे सहायक यंत्री, आरोपी हुकुम मनरेगा में सहायक सचिव, आरोपी मनोज सचिव के पद पर कार्यरत थे, आरोपी रेशमा जगन्नाथपुरा की सरपंच थी।

13. उक्त साक्षीगण संजय यादव (अ.सा.13) नवनीत चौहान (अ.सा.14), मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र कुमार दीक्षित (अ.सा.3)सहायक सचिव हेमन्त पाटिल (अ.सा.5) के द्वारा किये गये कथनों को प्रतिपरीक्षण के दौरान कोई चुनौती न दिये जाने से साक्षीगण के कथन स्थिर रहे हैं। अभियोजन साक्षीगण के द्वारा किये गये उक्त कथनों से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी सुसंगत घटना दिनांक एवं समय पर लोकसेवक था।

14. विधि अनुसार धारा–409 भा.दं.सं. के अपराध के गठन के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि आरोपी एक लोक सेवक हो और लोक सेवक होने के नाते उनके द्वारा अपने पास न्यस्त संपत्ति का दुर्विनियोग किया गया हो। विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के निष्कर्षों के अन्तर्गत सुसंगत घटना, दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी का लोकसेवक होना प्रमाणित पाया गया है।

15. **धारा–420 भा.दं.सं. यह उपबंधित करती है :–**

छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना–''जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति को, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किये जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे, या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो

सकेगी, दण्डित किये जायेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। छल को धारा 415 भा.द.सं. के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

<u>धारा–415 भा.दं.सं. यह उपबंधित करती है :–</u>

जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी, या साम्पत्तिक नुकसान या या अपहानि कारित होती है, तो या कारित होनी संभाव्य है, वह 'छल' करता है, यह कहा जाता है।

16. धारा– 467 भा.दं.सं. मूल्यवान प्रतिभूति, बिल, इत्यादि की कूटरचना के संबंध में दण्ड को प्रावधानित करती है जबकि धारा 463 भा.द.सं. में कूटरचना को परिभाषित किया गया है।

<u>धारा–463 भा.दं.सं. यह उपबंधित करती है कि–</u>

" जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाये, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाये, या यह कारित किया जाये कि कोई व्यक्ति, सम्पत्ति अलग करे या कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या इस आशय से रचना है कि कपट करे, या कपट किया जा सके, वह कूटरचना करता है।"

17. धारा–468 भा.दं.सं. मूल्यवान दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की छल के प्रयोजन कूटरचना के संबंध में दण्ड को प्रावधानित करती है–

<u>धारा–468 भा.दं.सं. यह उपबंधित करती है कि–</u>

जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जिसकी कूटरचना की जाती है, छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जायेगी, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

18. धारा–471 भा.दं.सं. कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की का असली के रूप में उपयोग में लिये जाने के संबंध में दण्ड को प्रावधानित करती है–

<u>धारा–471 भा.दं.सं. यह उपबंधित करती है कि–</u>

जो कोई कोई किसी ऐसे दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लायेगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जायेगा, मानो उसने ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कूटरचना की हो।

19. सदाशिव वर्मा (अ.सा.1) ने कथन किया है कि वह शिखर सहारा समाचार पत्र खरगोन का प्रधान संपादक है, उसका ऑफिस राधावल्लभ मार्केट में है, उसे ऑफिस में ग्राम जगन्नाथपुरा के ग्रामीणों से खेत–सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य में अनियमितताओं को लेकर फोन पर शिकायत प्राप्त हुई थी, शिकायत प्राप्त होने के पश्चात् वह तथा उसके अन्य साथी ओमप्रकाश, परमसिंह चौहान एवं सुनिल भामरे मौके पर गए थे, मौके पर उन्होंने देखा कि मजदूर मूलक योजना में राधाकिशन के खेत से पंचायत भवन तक जो रोड़ बनना था, उसमें जो खामियां थी, उसको लेकर प्रशासन को लिखित शिकायत की थी, उन्होंने वहां जाकर देखा था कि मजदूर मूलक योजना में मजदूरों से काम न करवाकर मशीनों से काम करवाया जा रहा था और रोड़ जहां से जहां तक बनना थी, वह पूरा नहीं बना था। निर्माण कार्य में हो रही अनियमितता के संबंध में उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित विभाग को शिकायत कर जांच कराने का कहा था, निर्माण कार्य ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा करा रही थी, 14–15 लाख रूपए का निर्माण कार्य था, लेकिन उतने का निर्माण कार्य नहीं हुआ था, उसने शिकायत आवेदन में योजना की संपूर्ण राशि का उल्लेख किया था।

20. सदाशिव वर्मा (अ.सा.1) के कथनों का समर्थन करते हुए ओमप्रकाश रामेणकर (अ.सा.15) ने कथन किया है कि वह सहारा समय न्युज चैनल में रिपोर्टर है, वह करीब 7–8 साल पहले सदाशिव व साथी पत्रकार के साथ राधावल्लभ मार्केट खरगोन के ऑफिस में बैठा हुआ था तब सदाशिव के पास किसी का फोन आया था तब सदाशिव ने बोला था कि साथ में चलना है तो वह, सदाशिव के साथ जगन्नाथपुरा गया था, वहा उसने एवं उसके मित्र सदाशिव और अन्य दो पत्रकारों ने खेत सड़क निर्माण का कार्य देखा था, जिसके संबंध में उन्होंने जिला पंचायत खरगोन में सी.ई.ओ. को शिकायत का आवेदन दिया था, जिसकी छायाप्रति प्रकरण के अभिलेख में संलग्न है।

21. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र कुमार दीक्षित (अ.सा.3) ने कथन किया है कि आरोपीगण ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा में वर्ष 2014 तक पदस्थ थे, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री खेत–सड़क योजना के तहत दो कार्य स्वीकृत हुए थे, दोनों जगन्नाथपुरा क्षेत्र के थे, एक कार्य 14 लाख 98 हजार व दूसरा कार्य 12 लाख 15 हजार का था, दोनों कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति सरपंच के द्वारा जारी की गई थी, तत्पश्चात् कार्य का प्राक्कलन क्षेत्र के उपयंत्री भारतसिंह मोरे के द्वारा तैयार किया गया था, जिनकी तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री संतोष दुबे के द्वारा प्रथम कार्य 14 लाख 98 हजार, जो कि 1.20 कि.मी. का था और दूसरा कार्य 1 कि.मी. का था, जिसकी लागत 12 लाख 15 हजार की थी, जिसकी तकनीकी स्वीकृति सहायक यंत्री संतोष दुबे द्वारा जारी की गई थी। उक्त कार्य जब स्वीकृत हुआ तब सरपंच रेशमाबाई थी, उसके पास जनता के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि उक्त कार्य ठीक से नहीं हुआ, जिसके आधार पर उसने कार्य की जांच के लिए अपने स्तर से टीम बनाकर अधिकृत किया था, टीम में सहायक यंत्री संतोष दुबे, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी सुश्री सोनाली रावत एवं सहायक लेखा अधिकारी महाजन तथा एक और अधिकारी, जिनका नाम आज उसे याद नहीं है, टीम में थे, किंतु इनके द्वारा जांच नहीं की गई एवं जांच करने से इंकार कर दिया था, उसने पंचायत इंस्पेक्टर और सहायक यंत्री को उक्त कार्य की जांच के लिए अधिकृत किया था, उनके द्वारा जांच न किए जाने पर उसके द्वारा जांच ना किये जाने की सूचना से कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को प्रदर्श पी–8 के पत्र के माध्यम से तथा प्रदर्श पी–9 के गोपनीय पत्र के माध्यम से कार्यपालन यंत्री को अवगत कराया था, इसके बाद कार्यपालन यंत्री ने एक रिपोर्ट तत्कालीन कलेक्टर नीरज दुबे को दी थी।

22. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र कुमार दीक्षित (अ.सा.3) के कथनों का समर्थन करते हुए कार्यपालन यंत्री एस.एस.चौहान (अ.सा.8) ने कथन किया है कि वह दिनांक 04.11.2014 को ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं संभाग खरगोन में कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ था, खरगोन में वर्ष 2010 से अगस्त 2017 तक वह उस पद पर पदस्थ रहा था, वह वर्तमान में अधीक्षण यंत्री मण्डल उज्जैन में पदस्थ है, उसे अपर कलेक्टर खरगोन के द्वारा निर्माण कार्यों में अनियमितता होने के कारण जांच हेतु निर्देशित किया गया था, जिनके निर्देशानुसार उसके द्वारा विकास खण्ड गोगावां की ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के अंतर्गत निर्माणाधीन पंचायत भवन से संबंधित कार्य की जांच हेतु सहायक यंत्री, उप यंत्री एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों से मिला था, जहॉ पर उसके द्वारा स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखों से परीक्षण किया गया था, उसके द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 एवं जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5 है।

23. कार्यपालन यंत्री एस.एस.चौहान (अ.सा.8) के कथनों का समर्थन करते हुए सहायक यंत्री आशीष कुमार वर्मा (अ.सा.9) ने कथन किया है कि वह दिनांक 30.08.2014 को सहायक यंत्री भीकनगांव मनरेगा में पदस्थ था। कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यंत्री सेवा श्री एस.एस.चौहान खरगोन द्वारा उसे कार्य की गुणवत्ता की जांच हेतु मौखिक निर्देशित किया था, उसके द्वारा निर्देश के पालन में जांच की गई थी, जिसके अन्तर्गत कार्य का नाम–पंचायत भवन सोमरा फालिया जनपद पंचायत गोगावां लंबाई, स्वीकृत लागत 12.15 लाख रूपये, मनरेगा के अन्तर्गत खेत सड़क निर्माण कार्य पंचायत भवन सोमरा फालिया का निरीक्षण प्रभारी उपयंत्री श्री मोरे के साथ दिनांक 30.08.2014 को किया गया था, सड़क कार्य में इमबैकेमेन्ट कार्य किया एवं सबग्रेड का कार्य कराते हुए मुरम डालने का कार्य किया जा रहा था, सड़क कार्य में बड़े–बड़े पत्थर पाये गये थे, जो कि शासन के निर्देशों के विपरीत था, जिसके लिए संबंधित उपयंत्री एवं सहायक यंत्री पूर्णतः जिम्मेदार थे। कार्य में उपयंत्री के बताए अनुसार मजदूरी पर 5,03,858/– (पांच लाख तीन हजार आठ सौ अठावन) रूपये एवं सामग्री पर 1,15,280/– (एक लाख पन्द्रह हजार दो सौ अस्सी) रूपये का व्यय किया गया, जिसमें सीमेन्ट पर 48,000/– (अडतालीस हजार) रूपये का व्यय किया गया। सीमेन्ट का क्रय पुलिया के निर्माण हेतु किया जाना बताया गया था, किन्तु उक्त दिनांक को पुलिया का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था, उक्त कार्य पर तकनीकी मापदण्ड का पालन न करने हेतु उपयंत्री एवं सहायक यंत्री जिम्मेदार है।

24. सहायक यंत्री आशीष कुमार वर्मा (अ.सा.9) ने आगे यह भी कथन किया है कि दिनांक 30.08.2014 को खेत सड़क निर्माण मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक, जिसकी लंबाई 1.20 किलोमीटर एवं स्वीकृत राशि 14.98 उपयंत्री द्वारा बताई गयी थी, जिसके निरीक्षण के दौरान उसके साथ कार्य प्रभारी उपयंत्री श्री मोरे थे। निरीक्षण के दौरान सड़क कीचड़ युक्त हो गयी होकर आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, सड़क कार्य में लगभग डेढ़ फीट मोटाई अर्थ वर्क का कार्य कराया जा रहा था। मजदूरी कार्य पर रूपये 5,80,146/–एवं सामग्री पर रूपये 2,87,112/–का भुगतान किया गया, जिसमें रूपये 2,38,112/– मुरम कार्य हेतु व्यय होना बताया गया था, जिसमें रूपये 48,000/– की सीमेन्ट का क्रय पुलिया निर्माण हेतु किया गया, किन्तु उक्त दिनांक तक स्थल पर पुलिया निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया था एवं सड़क कार्य प्रगति पर था। कार्य में तकनीकी मापदण्डों के पालन नहीं किये जाने हेतु संबंधित उपयंत्री एवं सहायक यंत्री जिम्मेदार है, कुल व्यय 8,67,258/–रूपये का व्यय होना संबंधित उपयंत्री के द्वारा बताया गया। जांच हेतु संबंधित उपयंत्री श्री भारतसिंह मोरे से अभिलेख की मांग किये जाने पर उनके द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, उसके द्वारा दी गई जॉच रिपोर्ट प्र.पी. 16 है।

25. सहायक मानचित्रकार आशिक शेख (अ.सा.7) ने कथन किया है कि वह दिनांक 12.08.2008 को सहायक मानचित्रकार के पद पर जनपद कार्यालय गोगावां में कार्यरत था, जनपद पंचायत कार्यालय गोगावां से दिनांक 10.02.2015 को जिला पंचायत कार्यालय खरगोन को लेख पत्र क्रमांक 354/तक./15 दिनांक 02.02.2015 का सहायक यंत्री जनपद पंचायत गोगावां का पत्र आर्टिकल ए–2 एवं खेत सड़क योजना स्टीमेट 14.98 कुल 09 पृष्ठों में है, जिसके साथ आर्टिकल ए–3 का मेप और जमीन का नक्शा एवं क्रास सेक्शन मेन रोड़ से राधा किशन के खेत तक आंवली ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा का, आर्टिकल ए–4 ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा जनपद पंचायत गोगावां का ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26.01.2014 का क्रमांक क्यू–14 एवं आर्टिकल ए–5 उक्त स्टीमेंट की तकनीकी स्वीकृति 03.02.2014 की क्रमांक 581, आर्टिकल ए–7 ग्राम पंचायत की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश, आर्टिकल ए–6 ले–आउट रिपोर्ट स्टीमेंट ग्राम पंचायत भवन से सोमारिया फाल्या तक जगन्नाथपुरा लागत 12 लाख 15 हजार जिसकी तकनीकी स्वीकृति क्रमांक 1138 दिनांक 03.03.2014 का कुल पेज 10 में, आर्टिकल ए–8 ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा का ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26.01.2014, आर्टिकल ए–9 ले–आउट रिपोर्ट, आर्टिकल ए–10 है एवं आर्टिकल ए–11 प्रशासकीय स्वीकृति है।

उक्त समस्त दस्तावेजों को उसने थाना भगवानपुरा पर जप्त कराये थे। पुलिस ने उक्त दस्तावेजों को जप्त कर प्रदर्श पी–14 के जप्ती पंचनामा बनाया था, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–14 के बी से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री को दूरभाष पर जांच कर रिपोर्ट पेश करने के लिये कहा था, उनके द्वारा जॉच रिपोर्ट पेश की गई थी।

26. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र कुमार दीक्षित (अ.सा.3) ने आगे कथन किया है कि कलेक्टर साहब के द्वारा उसे 5 लोगों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के कारण रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेशित किया था, रिपोर्ट करने के पहले उसने जांच रिपोर्ट देखी थी, जिसमें कार्य से अधिक मूल्यांकन होना पाया गया, जिसका भुगतान भी हो चुका था। अधिक भुगतान की राशि लगभग 7 लाख रूपए थे। कार्यपालन यंत्री द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर उसके साथी अधिकारियों के सहयोग से एक लिखित आवेदन तैयार किया था, जिसके साथ कलेक्टर के द्वारा दिया गया आदेश, कार्यपालन यंत्री के द्वारा की गई जांच रिपोर्ट, मेजरमेंट बुक दी थी, उसके द्वारा थाने में दिया गया लिखित आवेदन प्रदर्श पी–2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके व बी से बी भाग पर सहायक लेख अधिकारी के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–2 के आवेदन के साथ संलग्न तत्कालीन कलेक्टर का आदेश प्रदर्श पी–3, जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न कार्यापालन यंत्री का पत्र प्रदर्श पी–4, जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी–5 एवं प्रदर्श पी–6 है। माप पुस्तिका क्रमांक 013270 आर्टिकल ए–1 है, पुलिस द्वारा प्रदर्श पी–3 लगायत प्रदर्श पी–6 के दस्तावेज एवं आर्टिकल ए–1 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–7 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–2 के लिखित आवेदन के आधार पर पुलिस द्वारा प्रदर्श पी–10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

27. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र कुमार दीक्षित (अ.सा.3) के कथनों का समर्थन करते हुए उप निरीक्षक भारतसिंह बघेल (अ.सा.–12) ने कथन किया है कि वह दिनांक 11.02.2014 को थाना भगवानपुरा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोगावां का लिखित आवेदन पत्र अपराध की कायमी करने हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा सहायक यंत्री एस.के.दुबे, मनरेगा जनपद पंचायत गोगावां तकनीकी अधीक्षक भारतसिंह मोरे, संविदा उपयंत्री गोगावां, मनोज सचिव, ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरी व अन्य के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–10 लेखबद्ध की गई थी, उसके द्वारा आर्टिकल ए–55 की माप पुस्तिका को प्रदर्श पी–7 के जप्ती पंचनामा

अनुसार जप्त किया गया था।

28. उप निरीक्षक अन्ना वागले (अ.सा.–10) ने कथन किया है कि वह दिनांक 20.11.2014 को पुलिस थाना भगवानपुरा में बिस्टान चौकी पर उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था, उक्त अवधि के दौरान अपराध क्रमांक 274/14 धारा–409, 406, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा दिनांक 20.11.2014 को आरोपी संतोष को चौकी बिस्टान पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–17 तैयार किया था, दिनांक 05.12.2014 को आरोपी हुकुम को फार्मल गिरफ्तार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी–18 का तैयार किया था, विवेचना के दौरान दिनांक 04.11.2014 को साक्षी सज्जनसिंह एवं दिनांक 08.10.2014 को साक्षी राजेन्द्र दीक्षित के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे।

29. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने कथन किया है कि वह दिनांक 25.12.2014 को थाना भगवानपुरा पुलिस चौकी बिस्टान में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। थाना भगवानपुरा के अपराध क्रमांक 274/14 धारा–409, 406, 420, 467, 468, 471 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर विवेचना के दौरान उसने दिनांक 25.12.2014 को 13.05 बजे आरोपी भारतसिंह मोरे, उम्र–25 वर्ष को गवाहों के समक्ष बिस्टान चौकी पर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–19 का तैयार किया था, आरोपी रेश्माबाई को बिस्टान चौकी से गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–20 तैयार किया था, दिनांक 03.02.2015 को आरोपी मनोज चौहान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–21 तैयार किया था, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोपीगण की अग्रिम जमानत स्वीकार की गई थी, जिसके पालन में उसके द्वारा आरोपीगण को जमानत पर रिहा किया गया था, दिनांक 25.12.2015 आरोपी भारतसिंह मोरे द्वारा बिस्टान चौकी पर आर्टिकल ए–1 की एक माप पुस्तिका मध्यप्रदेश शासन क्रमांक 013270 जिसके पेज क्रमांक 01 लगायत 100 तक लेख है, प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया गया था।

30. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे कथन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 13.02.2016 को हेमन्त पाटिल रोजगार सहायक बिस्टान के पेश करने पर साक्षी मुन्ना एवं प्रकाश के समक्ष दस्तावेज पृष्ठ क्रमांक 01 लगायत 10 तक के जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–11 तैयार किया था, उसके द्वारा जप्तशुदा दस्तावेज आर्टिकल ए–12 लगायत आर्टिकल ए–21 है, जो आरोपी

संतोष दुबे के स्वाभाविक लिखावट/हस्ताक्षर से संबंधित है। उसके द्वारा दिनांक 05.02.2015 को आरोपी हुकुम पिता मांगीलाल के द्वारा बिस्टान चौकी पर पेश करने पर साक्षी मंशाराम, तुलसीराम के समक्ष दस्तावेज जप्त किये गये थे, ई. मस्टर रोल खेत सड़क पंचायत भवन सोमारिया फालिया तक मजदूरों का ग्राम रोजगार सहायक मेट, सचिव, सरपंच, सहायक यंत्री, उपयंत्री, कार्यक्रम अधिकारी व मजदूरों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे लगे हुए, क्रमांक 01 लगायत 09 के दस्तावेज जप्त किये गये थे। ई–मस्टर रोल खेत योजना सड़क योजना मेन रोड़ से राधाकिशन सेठ क्रमांक 01 लगायत 09 तक दस्तावेज उसके द्वारा जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.–12 का बनाया गया था, उसके द्वारा उक्त अपराध में जप्त दस्तावेज प्र.डी.–2 के मस्टररोल क्रमांक 4141, मस्टररोल क्रमांक 4531, आर्टिकल ए–22 में 05 पृष्ठीय है। मस्टर रोल संख्या 4783 में पेज 05 पृष्ठ आर्टिकल ए–23 है, मस्टरोल क्रमांक 41 के पेज 6 पृष्ठ है, आर्टिकल ए–24 है, मस्टर रोल क्रमांक 45 के पेज 15 पृष्ठ, आर्टिकल ए–25 है, मस्टर रोल क्रमांक 248 के पेज 10, आर्टिकल ए–26 है, मस्टररोल क्रमांक 248 पर मजदूर सुरसिंह पिता सुकलिया की हाजिरी, प्रतिदिन मजदूरी, माप पर, देय राशि पर एवं कुल राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है। मजदूर झिनू के मस्टर रोल पर कुल हाजरी पर, प्रतिदिन की मजदूरी, माप पर, देय राशि पर व्हाईटनर, कुल राशि नगद पर व्हाईटनर लगा हुआ है, आशा का मस्टर रोल कुल हाजरी, प्रतिदिन मजदूरी, माप, देय राशि पर, कुल नगद राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है। फुलसिंह व रामसिंह के मस्टर रोल कुल हाजरी, प्रतिदिन मजदूरी, माप, देय राशि पर, कुल नगद राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है। उक्त तीनों मजदूरों के हस्ताक्षर कॉलम पर हस्ताक्षर नहीं है। इसी प्रकार मजदूर सुरलीबाई, चामा, सायिका, सागर, मांगीलाल, सुनिता, आत्माराम, पार्वती के मस्टर रोल पर कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी, माप, देय राशि, कुल नगद राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है एवं उक्त पत्र पर हस्ताक्षर कॉलम पर हस्ताक्षर नहीं है। आर्टिकल ए–26 पर मजदूर रामसिंह, तोताराम, नूरी के मस्टर रोल कॉलम पर कुल हाजिरी क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 पर ओवर राईटिंग कर काटा–पीटी की गई है। रामसिंह के मस्टर रोल में कुल हाजिरी में, देय राशि, कुल नगद राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है और मजदूर वाले कॉलम में हस्ताक्षर नहीं है। नूरी का कुल हाजरी में, देय राशि पर, कुल नगद राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है एवं मजदूर वाले कॉलम में हस्ताक्षर नहीं है। जुवानसिंह पिता सुकलाल की कुल हाजरी में, देय राशि पर, कुल नगद राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है तथा मजदूर वाले कॉलम में हस्ताक्षर नहीं है।

31. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि आर्टिकल ए–25 के मजदूर ताराचंद पिता पूनमचंद, निवासी–आवली के मस्टर रोल कॉलम के क्रमांक 05 पर कुल हाजरी के उप कॉलम पर क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05 उपस्थिति पत्रक पर ओवर राईटिंग कर काटा–पीटी की गई एवं कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है, आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा खाली है। आर्टिकल ए–26 के मजदूर केशर के मस्टर रोल क्रमांक 05 पर कुल हाजरी के उप कॉलम पर 1, 2, 3, 4, 5 के उपस्थिति पत्रक पर ओवर राईटिंग कर काटा–पीटी की गई एवं कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है एवं आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा खाली है।

32. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि आर्टिकल ए–26 के मजदूर प्रह्लाद के मस्टर रोल क्रमांक 05 पर कुल हाजरी के उप कॉलम पर 01, 02, 03, 04, 05 उपस्थिति पत्रक पर ओवर राईटिंग कर काटा–पीटी की गई है एवं कुल हाजरी पर, प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है एवं आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा खाली है। आर्टिकल ए–26 के मजदूर गुलाब पिता गणपत का मस्टर रोल क्रमांक 06 पर कुल हाजरी के उप कॉलम पर 01, 02, 03, 04, 05 उपस्थिति पत्रक पर ओवर राईटिंग कर काटा–पीटी की गई एवं कुल हाजरी पर, प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है एवं आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा खाली है। आर्टिकल ए–26 के मजदूर बस्कर का मस्टर रोल क्रमांक 06 पर कुल हाजरी के उप कॉलम पर 01, 02, 03, 04, 05 उपस्थिति पत्रक पर ओवर राईटिंग कर काट–पीट की गई एवं कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है एवं आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा खाली है। आर्टिकल ए–26 के मजदूर मलीराम के मस्टर रोल क्रमांक 07 पर कुल हाजरी के उप कॉलम पर 01, 02, 03, 04, 05 उपस्थिति पत्रक पर ओवर राईटिंग कर काटा–पीटी की गई एवं कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान राशि पर व्हाईटनर लगा हुआ है एवं आवेदक के हस्ताक्षर एवं अंगूठा खाली है। आर्टिकल ए–26 के अंतिम पृष्ठ पेज नंबर 10 के कुल हाजरी के योग कॉलम नंबर 01, 02, 03, 04, 05 पर व्हाईटनर लगाकर कुल हाजरी योग पर काटा–पीटी कर ओवर राईटिंग की गई है। आर्टिकल ए–26 के ए से ए भाग पर, बी से बी भाग पर एवं सी से

सी भाग पर ओवर राईटिंग कर काटा–पीटी की गई है, पास्ड फॉर पेमेंन्ट रूपये के डी से डी भाग पर व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग कर काटापीटी की गई, इनवर्ड आर.एस. पर भी व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई है।

33. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि आर्टिकल ए–27 के मस्टर रोल क्रमांक 352 में 12 पेज संलग्न है, जिसके पृष्ठ क्रमांक 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 पर ओवर राईटिंग कर व्हाईटनर लगाकर पृथक से अंतिम पृष्ठ क्रमांक 365 पर व्हाईटनर लगाकर अंकों का उल्लेख किया गया है एवं राशि के संबंध में भी व्हाईटनर लगाकर पृथक से राशि लेख की गई है, मस्टर रोल क्रमांक 451, आर्टिकल ए–28 पृष्ठ 11 है, पृष्ठ क्रमांक 367 पर ओवरराईटिंग की गई है, मस्टर रोल पर क्रमांक 368 पर व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 369 पर मजदूरों की उपस्थिति में ओवर राईटिंग की गई है, इसी प्रकार पेज क्रमांक 370 पर मजदूरों की उपस्थिति व भुगतान की राशि आदि जगह पर व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई है, पेज क्रमांक 372 एवं पेज क्रमांक 373 पर मजदूरों की उपस्थिति के कॉलम में ओवर राईटिंग की गई हैं, अंतिम पेज क्रमांक 376 पर मजदूरों की उपस्थिति में कुल योग में तथा मजदूरी की राशि के कुल योग में काटा–पीटी कर ओवर राईटिंग की गई है। मस्टर रोल क्रमांक 1011 आर्टिकल ए–29 पर पेज 9 पृष्ठ है, जिसके पेज नंबर 378 पर एक मजदूर की उपस्थिति, पृष्ठ 379 पर दो मजदूरों अनुपस्थिति लेख है, शेष कॉलम रिक्त है। इसी तरह 380 पृष्ठ पर निरंक है, 381 पर 05 मजदूरों की अनुपस्थिति डली हुई है, पेज 382, 383, 384 पर निरंक हैं, पृष्ठ क्रमांक 385 पर मजदूरों के हस्ताक्षरों पर काटा–पीटी एवं उपस्थिति पर ओवर राईटिंग की गई है तथा मजदूरों की कुल मजदूरी पर स्वीकृत मजदूरी पर ओवर राईटिंग की गई है।

34. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि मस्टर रोल क्रमांक 2414 आर्टिकल ए–30 पर पेज 8 पृष्ठ है, पेज 387 पर उपस्थिति पर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 388 पर उपस्थिति पर ओवर राईटिंग और काटा–पीटी की गई है, पेज 389 पर मजदूरों की उपस्थिति में काटा–पीटी कर ओवर राईटिंग की गई है। पेज नंबर 390 एवं पेज नंबर 391 पर मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग की गई है तथा बैंक खाते की संख्या जो प्रिंट होकर व्हाईटनर लगाकर लिड पेन से लिखा गया है, इसी प्रकार पेज 392 पर उपस्थिति में ओवर रायटिंग की गई है तथा बैंक खाते पर व्हाईटनर लगाकर सुधार किया

गया है, पेज नंबर 393 पर भी उपस्थिति पर ओवर राईटिंग की गई तथा कुल उपस्थिति में भी ओवर राईटिंग कर 18–18 लिखा हुआ हैं, अंतिम पेज 394 पर कुल हाजरी पर ओवर राईटिंग की गई, मस्टर रोल क्रमांक 3274 आर्टिकल ए–31 पर कुल 4 पृष्ठ पेज होकर पेज नंबर 395 में नाम तथा उपस्थिति हस्ताक्षर एवं अंगूठे पर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 396 पर, पेज 397 पर, पेज क्रमांक 398 में भी मजदूरों की उपस्थिति में ओवर राईटिंग की गई है। मस्टर रोल क्रमांक 4145 आर्टिकल ए–32 में कुल 11 पृष्ठ है, पेज क्रमांक 399 में मजदूरों की उपस्थिति तथा उपस्थिति की देय राशि प्रतिदिन की मजदूरी कुल भुगतान पर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 402 पर मजदूरों की कुल उपस्थिति में तथा मजदूरों के हस्ताक्षर एवं काटा–पीटी की गई है तथा उपस्थिति में ओवर राईटिंग की गई है, पेज 406 पर मजदूरों की उपस्थिति तथा हस्ताक्षर में ओवर राईटिंग एवं काटा–पीटी की गई है, मस्टर रोल क्रमांक 4530 आर्टिकल ए–33 में कुल 11 पृष्ठ हैं, पेज नंबर 417 पर मजदूरों को देय राशि व कुल भुगतान पर ओवर राईटिंग एवं काटा–पीटी की गई है।

35. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि मस्टर रोल क्रमांक 40 आर्टिकल ए–34 में कुल 11 पृष्ठ हैं, पेज 429 पर मजदूरी, दिन की संख्या एवं प्रतिदिन मजदूरी में काटा–पीटी की गई है। मस्टर रोल क्रमांक 44 आर्टिकल ए–35 में कुल 12 पृष्ठ हैं, पृष्ठ क्रमांक 441 पर मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग की गई है। मस्टर रोल क्रमांक 247 आर्टिकल ए–36 में कुल 11 पृष्ठ हैं, पृष्ठ क्रमांक 446 पर उपस्थिति, कुल हाजरी, प्रतिदिन मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर ओवर राईटिंग होकर व्हाईटनर के उपर लेख किया गया है, पेज 447 भुगतान पर मजदूरों की उपस्थिति पर काटा–पीटी की गई है, कुल हाजरी प्रतिदिन, मजदूरी, देय राशि कुल भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ है, पेज 448 पर प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि पर आवेर राईटिंग की गई हैं, पेज 449 पर में मजदूरों की उपस्थिति हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी देय राशि, कुल नगद भुगतान में ओवर राईटिंग की गई है तथा व्हाईटनर लगाकर पृथक से राशि अंकित की गई है, पेज 450 में मजदूरों की उपस्थिति पर व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई एवं कुल हाजरी, प्रतिदिन, मजदूरी, देय राशि, नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगाकर उपर से लेख किया गया है, पेज 451 में मजदूरों की उपस्थिति, कुल हाजरी में व्हाईटनर लगाकर तथा प्रतिदिन की मजदूरी देय राशि, कुल नगद भुगतान में व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 452 में मजदूरों की उपस्थिति, कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी, देय

राशि, कुल नगद भुगतान में व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 453 में मजदूरों की उपस्थिति, कुल हाजरी तथा प्रतिदिन की मजदूरी देय राशि, कुल नगद भुगतान में व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 454 में मजदूरों की उपस्थिति, कुल हाजरी में व्हाईटनर, प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान में व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 455 में मजदूरों की उपस्थिति, कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान में व्हाईटनर लगाकर ओवर राईटिंग की गई है। पेज 456 पर मजदूरों की कुल योग के कॉलम में व्हाईटनर लगाकर मिटाया गया तथा कुल हाजरी पर ओवर राईटिंग है तथा प्रतिदिन की मजदूरी, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर ओवर राईटिंग की गई है, स्वीकृत राशि में शब्दों एवं अंको में व्हाईटनर लगाकर पृथक से अंक लेख किये गये है।

36. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि मस्टर रोल कमांक 351 आर्टिकल ए–37 में कुल 09 पृष्ठ हैं, पेज नंबर 457 पर मजदूरों की उपस्थिति, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ है, पेज 458 के मस्टर रोल मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग होकर व्हाईटनर लगा हुआ है, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ है, पेज 459 मस्टर रोल मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग की गई है, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 460 मस्टर रोल मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग की गई है, पेज 461 मस्टर रोल मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग होकर काटा–पीटी होकर व्हाईटनर लगा हुआ है, पेज 462 पर मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग होकर काटापीटी की गई हैं, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ हैं, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ है, पेज 463 पर मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग होकर काटापीटी की गई है, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ है, पेज 464 पर मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग होकर काटापीटी की गई है, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ है, पेज 465 पर मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग होकर काटा–पीटी की गई है, कुल हाजरी, देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ है तथा कुल योग में मजदूरों के उपर व्हाईटनर लगा हुआ तथा देय राशि कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा होकर प्रत्येक लेख किया है इसी पृष्ठ पर स्वीकृत राशि में शब्दों में व्हाईटनर लगाकर पृथक से लेख किया

है। पेज क्रमांक 450 आर्टिकल ए–38 में कुल 08 पृष्ठ है, पेज 470 पर मजदूरों की उपस्थिति में ओवर राईटिंग की गई है तथा कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ हैं, पेज 471 पर मजदूरों की उपस्थिति पर ओवर राईटिंग की गई हैं तथा कुल हाजरी, प्रतिदिन की मजदूरी देय राशि, कुल नगद भुगतान पर व्हाईटनर लगा हुआ है, पेज 474 पर मजदूरों की कुल उपस्थिति, अंतिम पृष्ठ पर अंकों में ओवर राईटिंग की गई हैं तथा कुल हाजरी प्रतिदिन की मजदूरी देय राशि, कुल नगद भुगतान, पर व्हाईटनर लगाकर अलग से लेख किया गया हैं तथा स्वीकृत राशि में ओवर राईटिंग में काटा–पीटी की गई है।

37. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 05.02.2015 को दोपहर 2.30 बजे आरोपी हुकुम बंजारा के द्वारा चौकी बिस्टान पर पंचायत भवन से सोमारिया फलिया तक के निर्माण के बिल, व्हाउचर मारूति कस्ट्रंक्शन बिस्टान के नाम के, जिन पर सरपंच, सहायक उपयंत्री, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, मारूति कस्ट्रंक्शन बिस्टान के हस्ताक्षर एवं सील लगे हुये कुल 05 तथा मेन रोड़ से राधाकिशन के निर्माण के मारूति कस्ट्रंक्शन के नाम के, जिन पर सरपंच, सहायक उपयंत्री, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, मारूति कस्ट्रंक्शन के हस्ताक्षर एवं सील लगे हुए कुल 11 बिल वाउचर जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–13 का तैयार किया गया गया था।

38. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा जप्ती पत्रक प्र.पी. 13 के अनुसार आर्टिकल ए–39 का बिल क्रमांक 70 दिनांक 16.03.2014, आर्टिकल ए–40 का बिल क्रमांक 71/दिनांक 20.03.2014, आर्टिकल ए–41 का बिल क्रमांक 401, दिनांक 30.03.2014, आर्टिकल ए–42 का बिल क्रमांक 402, दिनांक 30.03.2014 आर्टिकल ए–43 का बिल क्रमांक 406 दिनांक 30.03.2014 जप्त किया गया था। उसके द्वारा जप्ती पत्रक प्र.पी 13 के अनुसार मेन रोड़ से राधाकिशन के खेत तक मारूति कस्ट्रंक्शन बिस्टान के बिल/व्हाउचर जिन पर सरपंच, सचिव, सहायक यंत्री, उपयंत्री, ग्राम रोजगार सहायक मारूति कस्ट्रंक्शन की सील एवं हस्ताक्षर है, आर्टिकल ए–44 का बिल क्रमांक 66 दिनांक 04.03.2014, आर्टिकल ए–45 का बिल क्रमांक 67 दिनांक 05.03.2014, आर्टिकल ए–46 का बिल क्रमांक 68 दिनांक 08.03.2014, आर्टिकल ए–47 का बिल क्रमांक 69 दिनांक 14.03.2014, आर्टिकल ए–49 का बिल क्रमांक 405 दिनांक 30.03.2014, आर्टिकल ए–50 का बिल क्रमांक 404

दिनांक 30.03.2014, आर्टिकल ए–51 का बिल क्रमांक 3227 दिनांक 31.03.2014, आर्टिकल ए–52 का बिल क्रमांक 3228 दिनांक 31.03.2014, आर्टिकल ए–53 का बिल क्रमांक 3224, दिनांक 31.03.2014, आर्टिकल ए–54 बिल क्रमांक 3223 दिनांक 31.03.2014 जप्त किये गये थे।

39. इस साक्षी निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने अभियोजन साक्षी आशिक शेख (अ.सा.7) के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किये हैं कि उसके द्वारा दिनांक 10.02.2015 को 11.30 बजे सहायक मानचित्रकार आशिक के पेश करने पर चौकी बिस्टान पर साक्षियों के समक्ष क्रमांक 01 लगायत 04 तक के दस्तावेज जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–14 तैयार किया गया था, उसके द्वारा जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–14 के अनुसार जनपद पंचायत गोगावां पत्र क्रमांक 354/दिनांक 02.02.2015 आर्टिकल ए–2 के साथ संलग्न स्टीमेंट आर्टिकल ए–3, मेन रोड़ से राधा किशन के खेत ग्राम आवली पंचायत जगन्नाथपुरा तक का स्टीमेंट आर्टिकल ए–5 जप्त किया गया था। उसके द्वारा जप्ती पत्रक प्र.पी. 14 के अनुसार जप्त आर्टिकल ए–4 का ठहराव प्रस्ताव, आर्टिकल ए–6 का प्रशासकीय स्वीकृति आदेश एवं आर्टिकल ए–7 की ले–आउट रिपोर्ट 02 पेज में है, आर्टिकल ए–8 की तकनीकी रिपोर्ट पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक जो 10 पृष्ठों में हैं, आर्टिकल ए–9 का ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव एवं आर्टिकल ए–10 का लेआउट है, उसके द्वारा सी.ई.ओ. को गोगावां को चौकी बिस्टान से पत्र क्रमांक क्यू/16 दिनांक 15.03.2016 निर्माण कार्य से संबंधित शिकायत की जांच से संबंध प्रपत्र प्रदाय हेतु दिया गया था जो पत्र प्र.डी.–3 है। दिनांक 04.01.2016 को चौकी बिस्टान द्वारा उसके पत्र क्रमांक 07/ए/ओ.पी. /2016 दिनांक 04.01.2016 सी.ई.ओ. जनपद गोगावां को प्रकरण में जानकारी हेतु पत्र जारी कर बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 18 तक की जानकारी मांगी गई थी जो कि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–22 है।

40. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान दिनांक 15.03.2016 को साक्षी सदाशिव वर्मा, ओमप्रकाश रामणेकर, करणसिंह चौहान, सुनिल भामरे के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसके द्वारा विवेचना के दौरान कार्यालय पुलिस अधीक्षक खरगोन के प्रदर्श पी–23 के पत्र क्रमांक 46/16 दिनांक 15.01.2016 के माध्यम से राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख पुलिस मुख्यालय जहागीरबाद भोपाल को थाना भगवानपुरा के अपराध क्रमांक 274/14 धारा–406, 420, 409, 467, 468, 471 भा.द.सं. में जप्त दस्तावेज क्रमांक 1 लगायत 5 जांच हेतु भेजे गये थे,

जिसकी माल जमा रसीद प्र.पी–24 है।

41. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) ने आगे यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान जप्तशुदा मस्टर रोल पर आरोपीगण के हस्ताक्षर की जांच हेतु आरोपीगण से लिखावट का नमूना प्राप्त किया था, आरोपी मनोज के हस्ताक्षर नमूना 10 पन्नों में क्रमशः एस–1 लगायत एस–10 तक के प्रदर्श पी–29 साक्षी मंशाराम पिता अमरसिंग पंवार एवं तुलसीराम पिता नत्थु के समक्ष लिये गये थे, आरोपी भरत के हस्ताक्षर नमूना 10 पन्नों में क्रमशः एस–11 लगायत एस–20 तक के नमूना लिखावट प्रदर्श पी–30 साक्षी मंशाराम पिता अमरसिंग पंवार एवं तुलसीराम पिता नत्थु के समक्ष लिये गये थे, आरोपी संतोष कुमार के हस्ताक्षर नमूना 10 पन्नों में क्रमशः एस–21 लगायत एस–30 के नमूना लिखावट प्र.पी.–31 साक्षी मंशाराम पिता अमरसिंग पंवार एवं तुलसीराम पिता नत्थु के समक्ष लिये गये थे, आरोपी रेशमाबाई के हस्ताक्षर 10 पन्नों में क्रमशः एस–31 लगायत एस–40 के नमूना लिखावट प्रदर्श पी–32 साक्षी मंशाराम पिता अमरसिंग पंवार एवं तुलसीराम पिता नत्थु के समक्ष लिये गये थे, आरोपी हुकुम के हस्ताक्षर नमूना 10 पन्नों में क्रमशः एस–41 लगायत एस–50 के नमूना लिखावट प्र.पी.–33 साक्षी मंशाराम पिता अमरसिंग पंवार एवं तुलसीराम पिता नत्थु के समक्ष लिये गये थे, उसके द्वारा प्राप्त किये गये दस्तावेजों प्र.पी.–23 के माध्यम से राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख पुलिस मुख्यालय जंहागीराबाद भोपाल भिजवाया गया था। उपरोक्त दस्तावेजों की जांच रिपोर्ट राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख भोपाल से पुलिस अधीक्षक खरगोन को प्राप्त हुई थी, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। ओपीनियन रिपोर्ट के संलग्न है, जो पत्र भेजा गया है, वह पत्र प्र.पी.–34 है तथा ओपीनियन रिपोर्ट प्र.पी.–35 है, जो पांच पृष्ठों की है।

42. मकराम (अ.सा.2) को यद्यपि अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, किन्तु इस साक्षी (अ.सा.2) ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

43. मुन्ना (अ.सा.4) यद्यपि अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, किन्तु इस साक्षी (अ.सा.4) ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–11 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

44. मंशाराम (अ.सा.6) ने यद्यपि अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया है, किन्तु इस साक्षी (अ.सा.6) ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–14 पर ए से

ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

45. आरोपी संतोष कुमार का बचाव यह रहा है कि आरोपी निर्दोष है, उसके विरूद्ध असत्य कार्यवाही कर उसे झूठा फंसाया गया है, आरोपी की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में बतौर बचाव साक्षी किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

46. शिकायतकर्ता सदाशिव वर्मा (अ.सा.1) के प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी की ओर से यह सुझाव दिये गये हैं कि वह आरोपी को पहले से नहीं जानता है, शिकायतकर्ता ने उसे कोई लिखित शिकायत नहीं दी थी, उसे यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि मशीनें ज्यादा हैं और मजदूर कम हैं, शिकायत करने के बाद किसने जांच की व कब की, उसे नहीं मालूम।

47. मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेन्द्र कुमार दीक्षित (अ.सा.3) के प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी की ओर से यह सुझाव दिये गये हैं कि जनपद पंचायत के अन्तर्गत जितनी भी पंचायतें होती हैं, उन सब पर प्रशासनिक नियंत्रण जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होता है, गोगावां जनपद के अन्तर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं, उसका नियंत्रण उसके पास है, जांच के समय संभागीय अधिकारी एम.एल. डावर ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग इंदौर थे, आखिरी बार की जांच में संभागीय अधिकारी, अधीक्षण यंत्री के साथ सहायक यंत्री ए.के. उपाध्याय, उपयंत्री प्रदीप चौधरी आये थे, उक्त टीम में दिनांक 18.01.2016 को घटना की विस्तृत जांच की थी, अधीक्षण यंत्री जांच के दौरान मेजरमेंट बुक व मौके का पंचनामा बनाया था, प्रदर्श पी–2 की लिखित रिपोर्ट पेश करते समय अधीक्षण यंत्री द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट और उनके निर्देशों को उसने प्रस्तुत नहीं किया था, प्रदर्श पी–6 की रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रदर्श पी–10 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, प्रदर्श पी–5 एवं प्रदर्श पी–6 का अवलोकन उसके द्वारा किया गया था, जॉच प्रतिवेदन के पूर्व वह कभी मौके पर नहीं गया, इस प्रकरण से संबंधित मस्टर रोल व माप पुस्तिका को उसने उसके हस्ताक्षर कर जारी नहीं किये, मनरेगा के तहत जो शिकायतें आती हैं, उनकी जॉच कर निराकरण करने का कार्य उसके कार्यक्षेत्र में आता है, मनरेगा के अन्तर्गत जो कार्य होता है, उन कार्यों के भौतिक सत्यापन एवं मूल्यांकन पश्चात् पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस प्रकरण में उसने पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है। इस साक्षी (अ.सा.3) के प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी की ओर से यह सुझाव दिये गये हैं कि अधीक्षण यंत्री के प्रतिवेदन में राशि रिकवरी के बारे में रिपोर्ट

थी, एफ.आई.आर. व कोर्ट में केस दर्ज होने के बाद आयुक्त महोदय द्वारा केवल क्षति की राशि रिकवरी के लिये निर्देश दिये गये थे,

48. कार्यपालन यंत्री एस.एस.चौहान (अ.सा.8) के प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी की ओर से यह सुझाव दिये गये हैं कि उसे दौरे आदि के लिये शासकीय वाहन उपलब्ध था और उसने शासकीय वाहन से ही मौके पर जाकर जांच की थी, जांच के दौरान बरसात का मौसम था, जांच में किसी जनप्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया था, उसने कार्यस्थल पर विस्तृत तकनीकी जांच नहीं की थी।

49. सहायक यंत्री आशीष कुमार वर्मा (अ.सा.9) के प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी की ओर से यह सुझाव दिये गये हैं कि जांच के समय बरसात का मौसम था, काफी मात्रा में पानी गिर रहा था, उसने मौके पर निर्मित सड़क के कोई पिक्स नहीं लिये।

50. निरीक्षक दिनेशसिंह कुशवाह (अ.सा.11) के प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी की ओर से यह सुझाव दिये गये हैं कि राज्य परीक्षक विवादास्पद प्रलेख भोपाल से एफ.एस.एल. रिपोर्ट उसे सीधे प्राप्त नहीं हुई थी। साक्षी के द्वारा स्वतः प्रकट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुई थी।

51. ऑडिटर संजय यादव (अ.सा.13) के प्रतिपरीक्षण के दौरान आरोपी की ओर से यह सुझाव दिये गये हैं कि आदेश क्रमांक, दिनांक व नियुक्ति के बारे में उसने प्रदर्श पी–25 एवं प्रदर्श पी–26 को देखकर ही बताया है, नियुक्ति के बाद आदेश की प्रतिलिपियां अन्य संबंधित विभागों को भेज दी जाती है।

52. जहां तक बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में तात्विक विरोधाभास प्रकट हुआ है तो इस संबंध में न्यायदृष्टांत **<u>गंगा भवानी विरूद्ध रायापति वेंकटरेड्डी 2013 सीआर.एल. जे. 4618</u>** में ऐसे विरोधाभास और सुधार जो मामले की जड तक जाते हो या अभियोजन के मामले को मूलभूत रूप से प्रभावित करते है तो उनके आधार पर ऐसे साक्षियो की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। यही मत **<u>न्यायदृष्टांत मुनीअप्पम विरूद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडु ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 3718</u>** तथा **<u>न्यायदृष्टांत सुच्चा सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ पंजाब (2003) 7 एस.सी.सी. 643</u>** में अवधारित किया गया है। यही मत **<u>न्यायदृष्टांत सूरजमल विरूद्ध स्टेट देहली एडमिनिस्ट्रेशन ए.आई.आर. 1979 सु.को.</u>**

<u>1408</u> के निर्णय चरण 02 एवं **<u>न्यायदृष्टांत रामचरण विरूद्ध स्टेट ऑफ म.प्र. 2013 (1) एम.पी.एल.जे. क्रीमिनल 78</u>** के निर्णय चरण 09 अवलोकनीय है। **<u>न्यायदृष्टांत आशानन्द विरुद्ध राजस्थान राज्य 1998(1), म0नि0सा0 16, सु0को0,</u>** भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है कि चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों मे विद्यमान छोटे छोटे साधारण विरोधाभासों को नजरअंदाज किया जाना चाहिये। उक्त विधिक स्थिति के आलोक में बचाव पक्ष का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

53. अभियोजन अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह तथ्य स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर शासन से छल कारित करने का आपराधिक षड़यंत्र किया और उस षड़यंत्र के अग्रसरण में ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/– रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/– रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/– रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर छल करते हुए शासन से कुल 4.12 लाख रूपये की राशि का फर्जी भुगतान आहरित कर उक्त राशि परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित किया।

54. अभियोजन अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह तथ्य भी स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर शासन की राशि का न्यासभंग कारित करने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी ने लोकसेवक (सहायक यंत्री) के पद पर रहते हुए ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक 3.80 लाख रूपये का कार्य कराते हुए उक्त कार्य का फर्जी मूल्यांकन बताकर उक्त कार्य पर 7,92,088/– रूपये की राशि आहरित कर एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य के 1.50 लाख से 2.00 लाख रूपये के मूल्यांकन के कार्य कराते हुए फर्जी 5,14,019/– रूपये का मूल्यांकन बताकर 5,14,019/– रूपये राशि फर्जी रूप से आहरित कर कुल राशि रूपये 4.12 लाख का आपराधिक न्यासभंग कारित किया।

55. अभियोजन अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह तथ्य भी स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर छल के प्रयोजन से दस्तावेजों के कूटरचना करने का आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी संतोष कुमार दुबे ने ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा के ग्राम आंवली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत किसानों के लिए खेत सड़क योजना के अंतर्गत मेनरोड़ से राधाकिशन के खेत तक एवं पंचायत भवन से सोमारिया फालिया तक के कार्य दर्शित मूल्यांकन अनुसार न कराते हुए राशि प्राप्त करने के लिए मस्टर रोल आदि दस्तावेज की कूट रचना इस आशय से की कि उक्त कूटरचित दस्तावेज छल प्रयोजन से उपयोग में लाए जाए।

56. अभियोजन अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह तथ्य भी स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर उक्त कूटरचित दस्तावेजों को कपटपूर्वक या बेईमानी से असल दस्तावेजों के रूप में उपयोग में लाये जाने हेतु आपराधिक षड़यंत्र किया और उक्त षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी ने उपरोक्त दस्तावेजों को जिसके बारे में आरोपी जानता था या विश्वास करने का कारण रखता था कि वे कूटरचित है, को कपटपूर्वक या बेईमानी से असल दस्तावेज के रूप में उपयोग में लाए।

57. अभियोजन अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह तथ्य भी स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि उक्त सुसंगत दिनांक, समय और स्थान पर आरोपी संतोष कुमार दुबे ने ग्राम जगन्नाथपुरा के अंतर्गत खेत सड़क योजना ग्राम पंचायत भवन से सोमरा फालिया के कार्य एवं मेन रोड़ खेत सड़क से राधाकिशन के खेत का अधिकतम मूल्यांकन क्रमशः अधिकतम रूपए डेढ़ लाख से दो लाख रूपये तक एवं 3.80 लाख रूपए तक का था, का फर्जी मूल्यांकन क्रमशः 3 से 3.50 लाख एवं 4.12 लाख रूपये दर्शाने के संबंध में आपराधिक षड़यंत्र किया और अपने आपराधिक षड़यंत्र के अग्रसरण में आरोपी आपराधिक षड़यंत्र में शामिल रहा।

58. अभियोजन आरोपी संतोष कुमार दुबे के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420 सहपठित धारा–120(ख), धारा–409 सहपठित धारा 120(ख), धारा–468 सहपठित धारा 120(ख), धारा–471 सहपठित धारा 120(ख) एवं धारा–120 (ख) के अन्तर्गत अधिरोपित अपराध के आरोपों को सन्देह से परे

प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। परिणामतः आरोपी संतोष कुमार दुबे के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–120(ख), धारा–409 सहपठित धारा 120(ख), धारा–468 सहपठित धारा 120(ख), धारा–471 सहपठित धारा 120(ख) एवं धारा–120 (ख) के अपराध के आरोपों में दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

59. उपस्थित आरोपी संतोष कुमार दुबे को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

60. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

राजकुमार यादव
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश
खरगोन, पश्चिम निमाड़ (म0प्र0)

<u>पुनश्चः</u>–

61. आरोपी संतोष कुमार दुबे के विद्वान अधिवक्ता श्री के.पी. त्रिपाठी तथा अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री राजकुमार अत्रे को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है, इसके पूर्व आरोपी का पूर्व कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं रहा है, आरोपी वृद्ध व्यक्ति होकर रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित होने के साथ ही अपने परिवार का एकमात्र कर्ता–धर्ता व्यक्ति है, आरोपी विगत 10 वर्ष की अवधि से विचारण का सामना कर रहा है, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि आरोपी संतोष कुमार दुबे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420 सहपठित धारा–120(ख), धारा–409 सहपठित धारा 120(ख), धारा–468 सहपठित धारा 120(ख), धारा–471 सहपठित धारा 120(ख) एवं धारा–120 (ख) जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया गया है, इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे ताकि ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति न हो।

62. अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी की कोई पूर्व दोषसिद्धि प्रमाणित होकर अभिलेख पर नहीं है। मामले के विचारण में आरोपी की ओर से कोई विलम्ब भी कारित किया जाना भी अभिलेख पर नहीं है, प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों एवं आरोपी पक्ष के निवेदन को विचार में

लिया जाकर आरोपी को प्रमाणित अपराध में निम्नानुसार दण्डादिष्ट किया जाता है :–

अभियुक्त का नाम	**धारा**	**कारावास का दण्ड**	**अर्थदण्ड**	**अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में**
1–संतोष कुमार दुबे	धारा–420 सहपठित धारा–120(ख) भा.द.सं.	03 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/– रूपये	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
	धारा–409 सहपठित धारा–120(ख) भा.द.सं.	03 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/– रूपये	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
	धारा–468 सहपठित धारा–120(ख) भा.द.सं.	03 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/– रूपये	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
	धारा–471सहपठित धारा–120(ख) भा.द.सं.	03 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/– रूपये	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास
	धारा–120 (बी) भा.द.सं.	03 वर्ष का सश्रम कारावास	1000/– रूपये	01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

63. आरोपी को दी गई उक्त कारावास की सभी सजाएं साथ–साथ भुगताई जावे।

64. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

65. आरोपी द्वारा अनुसंधान एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि को उक्त दी गई कारावास की सजा में समायोजित की जावे एवं पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिरक्षा प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

66. निर्णय की सत्य प्रतिलिपि आरोपी को धारा–363(3) दं.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत तत्काल निःशुल्क प्रदान की जावे तथा निर्णय की एक प्रति

धारा–365 दं.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट की ओर सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

67. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति आर्टिकल ए–1 लगायत ए–54 (माप पुस्तिका 013270, जनपद गोगावां का पत्र, स्टीमेट कुल 09 पृष्ठ, ठहराव प्रस्ताव, एस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति आदेश, ले–आउट रिपोर्ट, तकनीकी स्वीकृति कुल 10 पेज, ठहराव प्रस्ताव, ले–आउट रिपोर्ट, प्रशासकीय स्वीकृति, जप्त दस्तावेज, मस्टर रोल क्रमांक 4531, मस्टर रोल क्रमांक 4738, मस्टर रोल क्रमांक 41, मस्टर रोल क्रमांक 45, मस्टर रोल क्रमांक 248, मस्टर रोल क्रमांक 352, मस्टर रोल क्रमांक 351, मस्टर रोल क्रमांक 1011, मस्टर रोल क्रमांक 2414, मस्टर रोल क्रमांक 3274, मस्टर रोल क्रमांक 4145, मस्टर रोल क्रमांक 4530, मस्टर रोल क्रमांक 40, मस्टर रोल क्रमांक 44, मस्टर रोल क्रमांक 247, मस्टर रोल क्रमांक 351, मस्टर रोल क्रमांक 450, बिल क्रमांक 70, बिल क्रमांक 71, बिल क्रमांक 401, बिल क्रमांक 402, बिल क्रमांक 406, बिल क्रमांक 66, बिल क्रमांक 67, बिल क्रमांक 68, बिल क्रमांक 69, बिल क्रमांक 405, बिल क्रमांक 403, बिल क्रमांक 404, बिल क्रमांक 3227, बिल क्रमांक 3228, बिल क्रमांक 3224, बिल क्रमांक 3223) के दस्तावेज अपील अवधि पश्चात् संबंधित विभाग को लौटाये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

राजकुमार यादव
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
खरगोन, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

राजकुमार यादव
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश,
खरगोन, पश्चिम निमाड़ (म.प्र.)

स्थान **:–खरगोन**
दिनांक **:– 06.08.2026.**

RAJ KUMAR YADAV

Digitally signed by RAJ KUMAR YADAV
Date: 2026.08.06 13:45:50 +0530